सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 104/10 **निर्णय दिनांकः– 18.06.2019**

1. पठान खॉ पुत्र सोजल खॉ जाति मुसलमान निवासी करणपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 05–06–2008
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः

1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय दिनांक 05–06–2008 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन तहसील पूगल के ग्राम करणपुरा के खसरा नम्बर 2/1 में 44 बीघा भूमि बारानी का आवंटन दिनांक 18–02–1992 को किया गया था। आवंटन के पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 9 डीडी के मुरब्बा नम्बर 110/10 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता

14, 18 ता 25 की 18 बीघा व मुरब्बा नम्बर 110/11 के किला नम्बर 1 ता 5 में 5 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के उक्त आवंटन को तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा अनियिमित मान लिये जाने पर अपीलांट द्वारा लम्बी कानूनी लड़ाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त आवंटनों को नियमित करने के आदेश प्रदान किये गये थे।

अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का नियमितिकरण नहीं किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष धोषणात्मक वाद पेश किया था जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना तनकी बनाये, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या 1 स्टेट के विरूद्व वाद धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि ग्राम करणपुरा के खसरा नम्बर 2/1 में 44 बीघा भूमि बारानी का आवंटन दिनांक 18—02—1992 को किया गया था। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 9 डीडी के मुरब्बा नम्बर 110/10 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 18 ता 25 की 18 बीघा व मुरब्बा नम्बर 110/11 के किला नम्बर 1 ता 5 में 5 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर आवंटन की दिनांक से ही आवंटन के आधार पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट को उक्त रकबा दिनांक 18—02—1992 में आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को तो सही मानते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि आवंटन नियमों के मुताबिक कार्यवाही करनी चाहिए थी, इससे प्रथम दृष्टया साबित होता है कि अपीलांट का आवंटन तो सही है परन्तु साथ ही यह व्याख्या कर दी गई कि धोषणात्मक वाद पेश नहीं कर सकते। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा धोषणात्मक वाद का निर्णय मात्र सरसरी तौर पर कर दिया गया। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं स्टेट द्वाराजवाब दावा पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए अपीलांट व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित करते हुद कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 05—06—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 19—11—2010 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलांट एक अनपढ़ ग्रामीण परीवेश का काश्तकार व्यक्ति है जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना में अपील प्रस्तुत करने में हुए 2 साल के विलम्ब के कारण संतोषजनक है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना न्याय की दृष्टि से उचित होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में जब सक्षम अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08—02—1992 को आवेदक पठान खॉ को 36 बीघा भूमि के आवंटन का सक्षम धोषित कर दिया गया तथा आवंटन सहाहकार समिति द्वारा दिनांक 18—02—1992 को ग्राम करणपुरा के खसरा नम्बर 2/1 की 44 बीघा बारानी भूमि आवंटित करने का निर्णय ले लिया गया तथा आदेशिका पर सक्षम अधिकारी द्वारा '' भूमि पुख्ता आवंटित की जाती है'' का अंकन कर दिया गया तो उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश माना जायेगा। अन्य कार्यवाहियॉ जैसे विधिवत आदेश तैयार करना, कब्जा दिया जाना आदि आनुषंगिक कार्यवाहियॉ है। अपीलांट कह रहा है कि आवंटन के अनुसार उसका कब्जा भी है तथा भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई है।

परीक्षण न्यायालय का निर्णय है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में दिनांक 15—01—1987 से तथा द्वितीय चरण में दिनांक 13—03—1991 से रोक थी तो उक्त आवंटन आदेश जारी कैस हुआ। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा प्रमाणित है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त आदेश की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है तथा केवल राज्य सरकार की रोक का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया गया जबकि राज पैरोकार तहसीलदार ने जवाब में इस प्रकार की रोक का कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि आवंटन राज्य सरकार की नीति के विरूद्व या तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है हो तो वाद दायर होने से पूर्व या वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त प्राप्त जानकारी के आधार पर आवंटन के निर्णय को निरस्त करना चाहिए था।

अपीलांट सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 18—02—1992 के तहत वैद्य आवंटी है। उक्त आदेश को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट को कब्जे से बेदखल किया गया है। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश की पालना में खातेदारी सनद् जारी करने हेतु सन् 2001 में ही वाद प्रस्तुत कर दिया गया था जिसे 8 साल बाद खारिज कर दिया गया तथा अपीलांट के विरूद्व बेदखली जैसी कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण उक्त निर्णय की समय पर जानकारी होना संभव नहीं था। अपीलांट अनपढ़ काश्तकार है जिससे न्यायालय की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपील पेश करने में हुए 2 साल के विलम्ब का कारण संतोषजनक है। अतः विलम्ब माफ किया जाकर अपील का मैरिट पर निर्णय किया गया है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05—106—2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 18—02—1992 को किये गये आवंटन की विधिकता का परीक्षण किया जाकर आवंटन के आधार पर लगातार कब्जा काश्त पाये जाने पर नियमन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर